

11966/08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



कार्यालय निकाषागार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

800028

25 OCT 2008

चौ दौ कात्यायन
उपकोषाधिकारी

हिबैनामा

मालियती-27,00,000/-रुपये,
स्टाम्प-1,35,000/-रुपये, जो शासनादेश पत्र सं०-2756/11
-2008-500/165/2007 दिनांक 30.6.2008 के अनुसार अदा
किया है।



Handwritten signature in blue ink

फोटो सत्यापित हरिहर शर्मा
दस्तावेज लिखक मोदीनगर



फोटो सत्यापित
दस्तावेज लिखक मोदीनगर

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

भारत
सत्यमेव जयते
INDIA

कोषालय उपकोषागार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 OCT 2008

800029

चौ दश कात्यायन
उपकोषाधिकारी

2

हिबै की जाने वाली भूमि का विवरण:-

- 1-वाकै ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में खाता नं०-209 के खसरा नम्बर-506, रकबा -6.3740हैक्टेयर लगानी-313.85/-रुपये सालाना में से रकबा-2.2500हैक्टेयर भूमि हिबै है।
- 2-सरकारी रेट-12,00,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर से हिबै भूमि की मालियत-27,00,000/-रुपये होती है। जिस पर स्टाम्प दिया है।
- 3-भूमि नगरपालिका सीमा से बाहर है। कृषि भूमि है।
- 4-भूमि पटटे भूदान की नहीं है। दोनो फरीक अनु०जाति से नहीं है। हिबै भूमि में टयूबवैल बोरिंग नहीं है 200मीटर त्रिज्या में काश्तकार्य हो रहा है। फरद, नक्शा, खसरे की नकल की छाया प्रति संलग्न है।
- 5-भूमि किसी लिंकमार्ग मुख्यमार्ग आदि पर नहीं है।

उत्तर प्रदेश

Chowdhary

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

मोदीनगर
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

800030

25 OCT 2008

चौ दौ कात्यायन
उपकोषाधिकारी

3

हम कि बसन्तलाल दत्तक पुत्र श्री ज्योतिप्रसाद निवासी
ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला
गाजियाबाद। फरीकअव्वल हिबैकर्ता।

एवं

पंडित रघुवीरशरण मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम शकूरपुर द्वारा
ट्रस्ट सचिव हरिओम शर्मा (एडवोकेट) पुत्र श्री बसन्तलाल
शर्मा निवासी ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील
मोदीनगर जिला गाजियाबाद। फरीक दायम। हिबैग्रहीता।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

मोदीनगर
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 OCT 2008

800031

चौ दौ कात्यायन
उपकोषाधिकारी

4

विदित हो कि वाकै ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में खाता नं०-209 के खसरा नम्बर -506, रकबा-6.3740 हैक्टेयर लगानी -313.85/-रुपये सालाना भूमि में से रकबा-1.0100 हैक्टेयर भूमि फरीकदोयम उक्त को हिबै करने के पश्चात शेष रकबा-5.364 हैक्टेयर भूमि का मै फरीक अव्वल हिबैकर्ता मालिक काबिज सं० भू० हूँ जिसमें से रकबा-..... 2.2500 हैक्टेयर भूमि इस लेख द्वारा मुझ फरीक अव्वल ने बहक फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त के हिबै की है। उपरोक्त भूमि आज दिन







कार्यालय
मोदीगवाह
28 JUN 2008
मनोज कुमार जैन
उप टोकहिया

06AA 053083

5

तक हर प्रकार से पाक साफ है अन्य कहीं दूसरी जगह ग्रस्त नहीं है। हिबै करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मुझ फरीकअव्वल की आयु करीब 66 साल है इस जीवन का भरोसा नहीं है कि न मालूम कब और किस वक्त यह जीवनयात्रा समाप्त हो जावे, और दिल की तमन्ना दिल में ही रह जावे। मैं फरीकअव्वल उक्त ट्रस्ट











उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 120776

6

फरीकदोयम में ट्रस्टी भी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपनी उक्त भूमि में से रकबा-2.2500 हैक्टेयर भूमि को फरीकदोयम ट्रस्ट के हक में हिबे कर दूँ ताकि फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त भूमि को अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठा सकें। अतः मुझ फरीक अव्वल ने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियो की दशा में बिना किसी दबाव व बहकाव के पूर्ण होश व हवाश में







भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय उपकोषाधिकार
मोदीनगर

23 OCT 2008

₹.5000

चौ दस हजार रुपये
उपकोषाधिकारी

पाँच हजार रुपये

भारत

सत्यमेव जयते
INDIA

Rs.5000


FIVE THOUSAND RUPEES


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 120775

7

उक्त भूमि रकबा-2.2500 हैक्टेयर को इस लेख द्वारा बिना किसी रूपया पैसा प्राप्त किये बहक फरीकदोयम ट्रस्ट उपरोक्त के हिबै कर दी। जो फरीकदोयम को सहर्ष स्वीकार है। ट्रस्ट में सचिव होने के नाते हरिओम शर्मा ने अपने हस्ताक्षरो से ट्रस्ट के नाम हिबैनामा रजिस्टरी कराया है। कब्जा मौके पर फरीकदोयम ट्रस्ट का मुझ फरीक अव्वल ने करा दिया है अब फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त भूमि की पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गई है जिस प्रकार


Dr. S. K. Sharma


D. Sharma





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 120473

8

चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावे, जो चाहे करें, कुछ उजर न होगा। दाखिल खारिज बहक फरीकदोयम करा दूँगा, वर्ना फरीकदोयम इस लेख द्वारा अपने हक में स्वयं करा ले, कुछ उजर न होगा। यह हिबैनामा हम दोनो फरीकेन ने अपनी अपनी









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 120474

9

खुशी व रजामन्दी से तहरीर कराया है जो अन्दरून भारतवर्ष के हर न्यायालय व कार्यालय में मान्य होगा। फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त खसरा नम्बर-506 में रकबा-1.0100 हैक्टेयर की पूर्व में दो हिबैनामो द्वारा मालिक काबिज है। आज इस हिबैनामा के बाद अब फरीक दोयम ट्रस्ट उक्त खसरा नम्बर-506, में रकबा-3.2600 हैक्टेयर यानि 8.055 एकड भूमि की मालिक काबिज हो गई है। अतः यह हिबैनामा


A handwritten signature in black ink is written over a circular grey stamp. The signature appears to be 'Rajamandi'.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular grey stamp. The signature appears to be 'J. Pray'.

पार्ट आफ डोकुमेन्ट नजरी नक्शा

विक्रीय कृषि भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्ति का नजरी नक्शा
 विक्रीय भूमि स्थित ग्राम :- श्री 224 नजरी नक्शा जिला गणेश
 विक्रीय भूमि के ख.नं. :- 506

कुल रकबा :- 22500 Sqm प्लॉट नम्बर - 27, 80, 000/1
 तारीख तकमील :- 25-10-08 I. बंध-बाली
II - हीरो बाली 99/25/10/12



हस्ताक्षर विक्रेता :-

हस्ताक्षर क्रेता :-

नक्शा हाजा दस्तावेज नं० के साथ संलग्न है।

श्री 224 नजरी नक्शा

श्री 224 नजरी नक्शा
 स.र.मोदीनगर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 120478

10

लिख दिया दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।।

(Signature)

गवाह कैजमोहन शर्मा पुत्र श्री प्रेमचंद शर्मा
 ग्राम-सीकरी कलां, जिला-गाँव गढ़

गवाह अमज अमी शे. शीकमल अलम
 गा. अमरपुरा जि. गाँव



कोटी सत्यापित हरिरंजन शर्मा
 कलां जिला मोदीनगर



कोटी सत्यापित
 कलां जिला मोदीनगर

दिनांक 25.10.08 मसौदा हरिरंजनशर्मा वसीकानवीस मोदीनगर।

संख्या का नाम हरिरंजन शर्मा
 नं० 40 मास्य दिनांक 31.10.09
 पोस्ट...
 के द्वारा

(Handwritten signature and scribbles)

7596/08



कार्यालय, उपडोकड़िया
मोदीनगर

28 JUN 2008

मनोज कुमार जैन
उप डोकड़िया

06AA 053081

हिबैनामा

मालियती-3,75,000/-रुपये, स्टाम्प-20,000/-रुपये, जो शासनादेश पत्र सं0-2756/11-2008-500/165/2007 दिनांक 30.6.2008 के अनुसार अदा किया है।

हिबै की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:-

- 1-वाकै ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में खाता नं0-209 के खसरा नम्बर-506, रकबा-6.3740हैक्टेयर लगानी-313.85/-रुपये रगलाना में से रकबा-0.5000हैक्टेयर भूमि हिबै है।
- 2-सरकारी रेट-7,50,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर से हिबै भूमि की मालियत-3,75,000/-रुपये होती है। जिस पर स्टाम्प अधिक दिया है।
- 3-भूमि नगरपालिका सीमा से बाहर है। कृषि भूमि है।
- 4-भूमि पटटे भूदान की नहीं है। दोनो फरीक अनु0जाति से नहीं है। टयूबवैल बोरिंग नहीं है 200मीटर त्रिज्या में काश्तकार्य हो रहा है। फरद, नक्शा, खसरे की नकल संलग्न है।
- 5-किसी लिंकमार्ग मुख्यमार्ग आदि पर नहीं है।



फोटो सत्यापित है
दस्तावेज




फोटो सत्यापित है
दस्तावेज

का मैं फरीकअवल्ल हिबैकर्ता तन्हा मालिक काबिज सं०भू० हूँ। जिसमें से रकबा-0.5000 हैक्टेयर भूमि इस लेख द्वारा मुझ फरीकअवल्ल ने बहक फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त के हिबै की है। उपरोक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार से पाक साफ है अन्य कहीं दूसरी जगह ग्रस्त नहीं है। हिबै करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मुझ फरीकअवल्ल की आयु करीब 66 साल है इस जीवन का भरोसा नहीं है कि न मालूम कब और किस वक्त यह जीवनयात्रा समाप्त हो जावे, और दिल की तमन्ना दिल में ही रह जावे। मैं फरीकअवल्ल उक्त ट्रस्ट फरीकदोयम में ट्रस्टी भी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपनी उक्त भूमि में से रकबा-0.5000 हैक्टेयर भूमि को फरीकदोयम ट्रस्ट के हक में हिबै कर दूँ, ताकि फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त भूमि को अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठा सकें। अतः मुझ फरीकअवल्ल ने अपनी खुशी व

ॐ श्रीगणेशाय नमः

(Fissham)



रजामन्दी शुद्ध बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियो की दशा में बिना किसी दबाव व बहकाव के पूर्ण होश व हवाश में उक्त भूमि रकबा-0.5000 हैक्टेयर को इस लेख द्वारा बिना किसी रूपया पैसा प्राप्त किये बहक फरीकदोयम ट्रस्ट उपरोक्त के हिबै कर दी। जो फरीक दोयम को सहर्ष स्वीकार है। ट्रस्ट में सचिव होने के नाते हरिओम शर्मा ने अपने हस्ताक्षरो से ट्रस्ट के नाम हिबैनामा रजिस्टरी कराया है। कब्जा मौके पर फरीकदोयम ट्रस्ट का मुझ फरीक अव्वल ने मौके पर करा दिया है अब फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त भूमि की पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गई है जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावे, जो चाहे करें, कुछ उजर न होगा। दाखिल खारिज बहक फरीकदोयम करा दूंगा, वर्ना फरीकदोयम इस लेख द्वारा अपने हक में स्वयं करा ले, कुछ उजर न होगा। यह हिबैनामा हम दोनो फरीकेन ने अपनी अपनी खुशी व रजामन्दी से तहरीर कराया है जो अन्दरून भारतवर्ष के हर न्यायालय व कार्यालय में मान्य होगा। फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त खसरानम्बर में रकबा-0.5100 हैक्टेयर की पूर्व में हिबैनामा द्वारा मालिक काबिज है। आज हिबैनामा के बाद अब फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त खसरानम्बर-1.0100 हैक्टेयर भूमि की मालिक काबिज हो

रजामन्दी

H. Sharma



गई है। अतः यह हिबैनामा लिख दिया दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।इति।।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
गवाह KAPIL SHARMA
S/O Sh. Ashok SHARMA
RAJAN MARKET, MNR



फोटो संलग्नित हरिंजन शर्मा
दस्तावेज लेखक मोदीनगर

गवाह

(Large handwritten signature)
2-7-08

दिनांक 02.7.08 मसौदा हरिंजनशर्मा वसीकानवीस मोदीनगर।

दस्तावेज लेखक का नाम हरिंजन शर्मा

क्रमांक 40 मान्य दिनांक 21-3-08

मोदीनगर 2-7-08

दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर

(Handwritten signature)
2-7-08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 740744

हिबैनामा


मालियती-3,83,000 /-रुपये, स्टाम्प-30,650 /-रुपये,

हिबै की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:-

1-वाकै ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में खाता नं0-209 के खसरा नम्बर-506, रकबा-6.1740 वर्ग मीटर लगानी-313.85 /-रुपये सालाना में से रकबा-0.5100 वर्ग मीटर मूमि हिबै है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



दस्तावेज लेखक मोदीनगर



शुभेश्वर मोदीनगर



कोषागार
बोदी पाच हजार रुपये
परबक्स कागजात
उत्तर प्रदेश, बोदीपाच

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 740745

2

- 2-सरकारी रेट-7,50,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर है।
- 3-भूमि नगरपालिका सीमा से बाहर हैं। कृषि भूमि है।
भूमि पटटे भूदान की नहीं है । दोनो फरीक अनुजाति से नहीं है। टयूबवैल बोरिंग नहीं है 200मीटर त्रिज्या में काश्तकार्य हो रहा है। फरद, नक्शा, खसरे की नकल रांलग्न है।
- 4-किसी लिंकमार्ग मुख्यमार्ग आदि पर नहीं है।

~~बख्त नारायण~~

~~अनुर~~



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


A-740746

3

हम कि बसन्तलाल दत्तक पुत्र श्री ज्योतिप्रसाद निवासी
ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला
गाजियाबाद। फरीकअवल हिबैकर्ता।

एवं

पंडित रघुवीरशरण मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम शकूरपुर द्वारा
ट्रस्ट सचिव हरिओम शर्मा पुत्र श्री बसन्तलाल शर्मा
निवासी ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर
जिला गाजियाबाद। फरीक दायम। हिबैग्रीहीता।









भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES


INDIA


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


A 740678

4.

विदित हो कि वाकै ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में खाता नं०-209 के खसरा नम्बर -506, रकबा-6.3740 हैक्टेयर, लगानी-313.85 / -रुपये, सालाना भूमि का मैं फरीकअवल हिबैकर्ता तन्हा मालिक काबिज सं० भू० हूँ। जिसमें से रकबा-0.5100 हैक्टेयर भूमि इस लेख द्वारा मुझ फरीकअवल ने बहक फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त के हिबै की है। उपरोक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार से पाक साफ है अन्य कहीं दूसरी जगह ग्रस्त नहीं है। हिबै करने के पूर्ण अधिकार













उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


A 740679

5

प्राप्त है। मुझ फरीकअव्वल की आयु करीब 65 साल है इस जीवन का भरोसा नहीं है कि न मालूम कब और किस वक्त यह जीवनयात्रा समाप्त हो जावे, और दिल की तमन्ना दिल में ही रह जावे। मैं फरीकअव्वल उक्त ट्रस्ट फरीकदोयम में ट्रस्टी भी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपनी उक्त भूमि में से रकबा-0.5100 हैक्टेयर भूमि को फरीकदोयम ट्रस्ट के हक में हिबै कर दूँ, ताकि फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त भूमि को अपने प्रयोग मालिकाना में











उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 740680

6


लाकर लाभ उठा सकें। अतः मुझ फरीकअव्वल ने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियो की दशा में बिना किसी दबाव व बहकाव के पूर्ण होश व हवाश में उक्त भूमि रकबा-0.5100 हैक्टेयर को इस लेख द्वारा बिना किसी रूपया पैसा प्राप्त किये बहक फरीकदोयम ट्रस्ट उपरोक्त के हिबै कर दी। जो फरीक दोयम को सहर्ष स्वीकार है। ट्रस्ट में सचिव होने के नाते हरिओम शर्मा ने अपने इस्ताक्षरो से ट्रस्ट के नाम हिबैनामा रजिस्टरी

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

RS 500



सत्यमेव जयते

भारत


पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

दीवरा
11/05/2007
श्री गुरु देव
गुरु

7

कराया है। कब्जा मौके पर फरीकदोयम ट्रस्ट का मुझ फरीक अव्वल ने करा दिया है अब फरीकदोयम ट्रस्ट उक्त भूमि की पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गई है जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

D 572265


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

मालिकाना में लाकर लाभ उठावे, जो चाहे करें, कुछ उजर न होगा। दाखिल खारिज बहक फरीकदोयम करा दूंगा, वर्ना फरीकदोयम इस लेख द्वारा अपने हक में स्वयं करा ले, कुछ उजर न होगा। यह हिबैनामा अन्दरून भारतवर्ष के हर न्यायालय

स्वयंसेवा

Atmaz






● उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 329280

9

व कार्यालय में मान्य होगा। अतः यह हिबैनामा लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।।

शिवकुमार शर्मा


शिवकुमार शर्मा




शिवकुमार शर्मा
 देस्तावेज लेखक मोदीनगर

गवाह शिवकुमार शर्मा S/अध्यापक नाम
 गाँव शिवपुर, गाँव बाढ़
 तहसील मोदीनगर शिवपुर


गवाह कृष्णसिंह अधिकारी S/श्री
 दीवानसिंह अधिकारी
 1514 शाहीनगर कोरहा



कृष्णसिंह अधिकारी

कृष्णसिंह

दिनांक 03.9.07 मसौदा हरिजनशर्मा ब्रह्मीकानवीस मोदीनगर।

नं० 40 मान्य दिनांक 31-8-07
 मोदीनगर
 देस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर

 3000

भुगतान पावती
उत्तर प्रदेश सरकार
निबन्धन कार्यालय - भुगतान पावती


आवेदन संख्या : 1202314401084
आवेदन तिथि : 09/05/2023
आवेदक का नाम : राजबोध नेहरा एड
मोबाइल संख्या : 8433260738

भुगतान का विवरण

भुगतान विधि : ई भुगतान
पंजीकरण राशि : 140
चालान संख्या : NIB230463799
भुगतान तिथि : 09-05-2023
भुगतान पावती संख्या : 202314400449
प्राप्तकर्ता का नाम : निखिल कुमार .

(प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर)

(आवेदक का हस्ताक्षर)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FR 335842

लीज डीड मियादी तीस साल ।।

किराया - 1000/- रूपये सालाना

स्टाम्प अंकन - 500/- रूपये।

हम कि पंडित रघुवीरशरण मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम शकूरपुर द्वारा सचिव हरिओम शर्मा पुत्र श्री बसन्त लाल शर्मा निवासी ग्राम शकूरपुर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद। फरीक अब्बल/भूमि मालिक आ0नं0 9740 5857 2884, मो0नं0 9212111158, PAN-AXTPB2623G

एवं

रघुवीरशरण मेमोरियल डिग्री कालेज, ग्राम शकूरपुर द्वारा अध्यक्ष श्री शिवकुमार पुत्र स्व0 श्री मुरारी लाल निवासी ग्राम शकूरपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद। फरीक दायम/करायेदार आ0नं0 4508 3192 4264, मो0नं0 9359348334, PAN-HNTPK3386N



Rajodh Nehra

शिवकुमार शर्मा

शिवकुमार शर्मा



RAJODH NEHRA
(Advocate)
No. 5, S.D.M. Court Compound
Jail Post Office, Modinagar
Dist.



SHIV KUMAR SHARMA
(Advocate)
S.D.M. Court Compound

शिवकुमार शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

क सौ रुपये

Rs. 100

₹ 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FR 335843

2

विदित हो कि एक किता आराजी/सम्पत्ति रकबई 2.7600 हे० सम्बन्धित खसरा नम्बर-506, स्थित ग्राम शकपुर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद की फरीक अव्वल ट्रस्ट द्वारा दो किता हिबनामा मालिक काबिज है। मुझ हरिओम शर्मा को ट्रस्ट का सचिव होने के नाते ट्रस्ट के हित में उक्त आराजी को लीज पर देने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त आराजी आज दिन तक समस्त प्रकार की देनदारी, आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय, बैंक लोन, जमानत, तकावी आदि से पाक साफ है, कहीं दूसरी जगह ग्रस्त नहीं है। किराये पर देने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। फरीक दायम उक्त आराजी मे से रकबा 10,100 वर्ग मीटर भूमि पर किराये पर सन 2008 से लेकर कालिज चला रहे हैं परन्तु किन्ही कारण वश लीज को पंजीकृत नहीं करा पाये थे। अब दोनो आपसी सहमति से लीज पंजीकृत करा रहे हैं। अतः मुझ फरीक अव्वल ने अपनी स्वेच्छा व प्रसन्नता से बिना किसी जोर दबाव बहकाव किसी प्रकार के उपरोक्त आराजी/सम्पत्ति रकबई 10100 वर्ग मीटर को अंकन- 1000/-रुपये एक हजार रुपये सालाना किराये की दर से दिनांक 18-07-2008 से आगामी 30 साल के लिए फरीक

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

3 MAR 2010

100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

FR 335844

दोयम को लीज पर दी है तथा मुझ फरीक दोयम ने लीज पर ली है। तथा मुझ शिव कुमार को फरीक दोयम ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते अपने हस्ताक्षरों से ट्रस्ट फरीक दोयम के हक में लीज लिखाने के अधिकार प्राप्त हैं। जिसके लिए हम दोनो फरीकैन के मध्य निम्न शर्तें तय पायी गयी है जिसके हम फरीकैन व हमारे वारसान भविष्य में पाबन्द रहेगे :-

- 1- यह कि तयशुदा किराया उपरोक्त व लीज की मियाद 30 साल में कमीबेशी करने का हक किसी फरीक को नहीं होगा एवं लीज की मियाद दिनांक 18-07-2008 से 30 वर्ष यानि 17-07-2038 ई0 तक मानी जायेगी।
- 2- यह कि भूमि सम्बन्धी समस्त कानूनी नुक्स को दूर करने व भूमि सम्बन्धी समस्त डयुज अदायगी की जिम्मेदारी मुझ फरीक अब्बल की रहेगी।
- 3- यह कि फरीक दोयम उक्त को हक होगा कि वह उक्त आराजी को जिस प्रकार चाहे बहैयित किरायेदारी अपने प्रयोग में लावे, शिक्षा कार्य में जैसे चाहे प्रयोग करें, कनेक्शन बिजली पानी का लेवे, निर्माण करें, मैदान के रूप में प्रयोग करें तथा बाद गुजरने मियाद 30 साल फरीक दोयम उक्त आराजी खाली करके फरीक अब्बल को वापिस सुपुर्द करेगी। इसमें किसी को कुछ उजर न होगा।
- 4- यह कि फरीक दोयम हर साल का किराया फरीक अब्बल को समय पर अदा करता रहेगा तथा भविष्य में फरीक दोयम एक मुश्त या सालवाईज भी किराया फरीक अब्बल को अदा करने की अधिकारी रहेगी। इसमें मुझ फरीक अब्बल या मेरे वारसान को कुछ उजर न होगा।

शिव कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FR 335845

4

- 5- यह कि फरीक दोयम उक्त आराजी की बावत प्राप्त किरायेदारी हकूकों को किसी अन्य को हस्तान्तरण नहीं करेगी, न ही किसी अन्य को किराये पर देगी, केवल उक्त आराजी शिक्षा प्रयोग में लेगी। आराजी के सम्पूर्ण मालिकाना हकूक फरीक अब्बल के पास सुरक्षित हैं केवल आराजी 30 साल के लिये फरीक दोयम को किराये पर दी गई है।
- 6- यह कि यह लीज डीड हम दोनों फरीकैन ने अच्छी तरह पढकर व सुनकर समझ गवाहान लिखाया है। जिसके हम फरीकैन व हमारे वारसान भविष्य में पाबन्द रहेंगे।

अतः यह लीज डीड/किरायानामा मियादी 30 साल लिखा दिया है कि प्रमाण रहे और समय पडने पर काम आवे।

सीमा:- पूरब- गंदा नाला, पश्चिम- भूमि अन्जली शर्मा व हरिओम शर्मा,

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]










उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5



FR 335846

उत्तर-रामूर्तिदेवी गर्ल्स कालेज, दक्षिण-रास्ता आम सडक।








 शिवकुमार शर्मा



गवाह-1 मोहित कुमार यादव पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह यादव
 निवासी ग्राम बुढसैनी तहसील व जिला बागपद।
 मो0नं0 9897760318

गवाह-2 राजबोध नेहरा एडवोकेट
 पता- चैम्बर नं0 05 तहसील परिसर मोदीनगर
 जिला गाजियाबाद। मो0नं0 9837074591


RAJBODH NEHRA
 (Advocate)


दिनांक: 18-03-2020 ई0 मसौदा राजबोध नेहरा एडवोकेट चैम्बर नं0 05 तहसील
 परिसर मोदीनगर जनपद गाजियाबाद। टाईप किया सतीश कुमार।
RAJBODH NEHRA (Advocate)
 Ch. No.- 5, S.D.M. Court Compound, Tehsil Parisar, Modinagar